

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

एस० ओ०

पटना, दिनांक—

बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग अधिनियम, 1996 (अधिनियम, 1997) की धारा 4 के उप धारा 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 4 के उप धारा 2 एवं 3 में किये गये प्रावधानों के अनुसार बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का गठन निम्नरूपेण करते हैं:—

- | | | | |
|-----|-----------|---|--|
| (1) | अध्यक्ष | — | श्री अशोक कुमार,
पिता—श्री आनन्दी प्रसाद बादल,
ग्राम+पोस्ट—श्रीपुर, प्रखंड—भवानीपुर,
जिला—पूर्णियाँ—854205
मो०—8709948671 / 9470837054 |
| (2) | उपाध्यक्ष | — | श्री अरविन्द कुमार सिंह,
पिता—श्री लक्ष्मण सिंह,
ग्राम—बहादुरपुर, पो०—मखदुमावाद,
थाना—परासी, जिला—अरवल,
मो०—9471999909 / 9471999966 / 9939987000 |
| (3) | सदस्य, | — | सुश्री श्रेयसी सिंह,
सदस्य, बिहार विधान सभा, जमुई |
| (4) | सदस्य, | — | श्री रामविलास कामत,
सदस्य, बिहार विधान सभा, पिपरा (सुपौल) |
| (5) | सदस्य, | — | श्री विजय सिंह,
सदस्य, बिहार विधान सभा, बरारी (कटिहार) |
| (6) | सदस्य, | — | श्री अनिल कुमार,
सदस्य, बिहार विधान परिषद् |
| (7) | सदस्य, | — | श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह,
सदस्य, बिहार विधान परिषद् |

18

- (8) सदस्य - श्री सुशील कुमार,
पिता-श्री भोला सिंह,
ग्राम+पोस्ट+थाना-तिलौथू,
जिला-रोहतास-821312
मो0-9430027230
- (9) सदस्य - श्री शौकत अली,
C/o मासूक अली, गोवाल बिगहा,
मुस्लिम होटल रोड, गया-823001
मो0-9852370316

पदेन सदस्य

- (10) श्रमायुक्त, बिहार, पटना।
- (11) निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना।
- (12) संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना।
- (13) संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।
- (14) निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना।
- (15) मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना।
- (16) निदेशक, समाज कल्याण, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना।
- (17) निदेशक, जन शिक्षा, बिहार, पटना।
- (18) निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।
- (19) निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना।
2. आयोग का मुख्यालय पटना में रहेगा।
3. आयोग के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/मनोनीत सदस्यों की पदावधि, प्रभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष तक के लिए होगी।

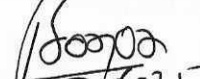
18

4. आयोग "बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग" अधिनियम, 1996 की धारा 7 में उल्लेखित कार्यों का निष्पादन करेगा। आयोग अपने कार्यों से संबंधित प्रतिवेदन अधिनियम की धारा 12 के अनुसार सरकार को देगा।

ज्ञापांक:-1/सी०एल०सी०-1019/99 (खंड) श्र०सं०- 33

पटना, दिनांक- 07.06.2025

बिहार राज्यपाल के आदेश से

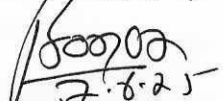

राजीव रंजन

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-1/सी०एल०सी०-1019/99 (खंड) श्र०सं०- 33

पटना, दिनांक- 07.06.2025

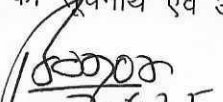
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ आयोग के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष /सभी सदस्य एवं प्रशाखा-01 (50 अतिरिक्त प्रतियों के साथ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-1/सी०एल०सी०-1019/99 (खंड) श्र०सं०- 33

पटना, दिनांक- 07.06.2025

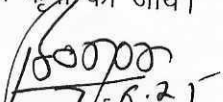
प्रतिलिपि:- राज्य सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमण्डलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/ भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली एवं सभी संबंधितों/सभी राज्य सरकारों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-1/सी०एल०सी०-1019/99 (खंड), श्र०सं०- 33

पटना, दिनांक- 07.06.2025

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


सरकार के संयुक्त सचिव।